maintain data on complaints received specifically against employees of nationalised banks for unsatisfactory service.

(b) Does not arise in view of reply to Part (a) of the question.

(c) and (d) RBI have reported that as a follow up of one of the recommendations of the Goiporia Committee on Customer Service in Banks, they have advised banks to make available to the customers brochures/ pamphlets in regional languages/ Hindi/English giving details of various schemes. RBI have further reported that banks have started implementing this recommendation.

Rewards for income tax evasion informers

190. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of Income Tax evasion informers rewarded during 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 and the details of the amount given to them;

(b) the number of informers who did get their reward during this period; and

(c) the reasons for not giving reward and by when they are likely to get reward?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमान

191. श्री विनय भाई हरिभाई शुक्ल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वेतनमानों से संबंधित "वर्किंग ग्रुप" की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्तों की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या पंचाट ने बकाया राशि के भुगतान के संबंध में निर्णय दे दिया है और उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को बरकरार रखा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) समीकरण समिति की रिपोर्ट के साथ पठित राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एन.आई.टी.) के पंचाट के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों के संबंध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह का गठन श्री आर० सी० गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया था। सिफारिशों में स्थूल रूप से वेतनमानों में कर्मचारियों के फिटमेंट, कर्मचारी सेवा विनियमन और भर्ती तथा पदोन्नति नीति जैसे मुद्दे शामिल है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वेतनमानों में फिटमेंट से संबंधित सिफारिशों के संबंध में सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों को 20 मार्च, 1993 को हिदायतें जारी की हैं। कर्मचारी सेवा विनियमों और भर्ती तथा पदोन्नति नीति के प्रारूप नाबार्ड और प्रायोजक बैंकों के परामर्श से तैयार किये गये हैं और उन्हें विधि मंत्रालय के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) से (ङ) एन.आई.टी. के पंचाट के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नये वेतनमानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को संशोधित वेतन 1-1-1991 से जारी कर दिया गया था। लेकिन 1-1-1991 से पूर्व की अवधि के लिये प्रोद्भूत बकाये का भुगतान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को

अभी तक नहीं किया गया है । अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने 1984 की रिट याचिका 132 में माननीय उच्चतम न्यायालय में 1993 का. । एसं० 1 दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिये बकाये के भुगतान की मांग की गई है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12-9-1994 को एक आदेश पारित किया जिसके तहत उसने भारत संघ तथा नाबार्ड को कर्मचारी संघ के परामर्श से चार सप्ताह के अन्दर एक योजना तैयार करने का निदेश दिया । भारत सरकार ने नाबार्ड के महाप्रबंधक श्री के० बसु की अध्यक्षता में 6 अन्य सदस्यों सहित एक समिति की नियुक्ति की है । समिति इस संबंध में कर्मचारी संघ से परामर्श करती रही है । इस मामले को माननीय उच्चतम न्यायालय के ध्यान में लाया गया था, जिन्होंने योजना प्रस्तुत करने की तारीख पहले 31 दिसम्बर, 1994 तक बढ़ाई है और बाद में अगली तारीख 1-5-1995 नियत की गई है ।

Concessional aid to India

192. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Concern over fall in aid to India" as reported in 'Statesman' dated October 16, 1994;

(b) if so, whether concessional aid to India from foreign Countries has stopped;

(c) if so, the reasons therefor.

(d) whether it will have any impact on the economy of the country; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Yes. Sir.

(b) and (c) No, Sir.

(d) and (e) Does not arise.

Average credit deposit ratio of commercial banks in Uttar Pradesh

193. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the average credit deposit ratio of scheduled Commercial Banks till 31st October, 1994 in Uttar Pradesh;

(b) whether it is quite less than the national average;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken to remove the imbalance in credit deposits ratio?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) The Credit Deposit Ratio (CDR) of scheduled commercial banks as on 30th September, 1994 (latest available) in Uttar Pradesh is 35.3 per cent as against the All India average of 54.9 per cent.

(c) The reasons for low C. D. Ratio can be attributed mainly to low credit absorption capacity, lack of adequate infrastructural facilities, tendency on the part of major industries like sugar to opt for alternate sources of credit rather than from banks.

(d) Reserve Bank of India (RBI) had appointed a High Power Committee to look into the causes of low CDR in Uttar Pradesh and to suggest measures to improve the same. On the basis of the recommendations of the Committee, meetings were held in the State and definite time bound programmes for credit disbursal in identified areas were chalked out. RBI had also advised the banks to show improvement in this regard and the banks have responded well with definite action plans to improve lending operations which will lead to boosting the C. D. Ratio in the State.